

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या—BMSICL/Infra/06/2026, दिनांक— 10/04/2026

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा निम्न कार्यो हेतु प्रतिशत/मद दर निविदा आमंत्रित की जाती है। कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/लोक उपक्रम के किसी भी श्रेणी में निबंधित हो, निविदा में भाग ले सकते हैं, परंतु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के पश्चात एवं एकरारनामा के पूर्व BMSICL में निबंधन कराना अनिवार्य होगा:—

ग्रुप संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रघन की राशि (रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु० में)	बिड प्रोसेसिंग शुल्क (रु० में)	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	मुंगेर जिलान्तर्गत प्रखण्ड—जमालपुर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चहारदिवारी के निर्माण कार्य।	26.09	52,200 /—	11,800 /—	As per Eproc-2	03 माह
2.	बक्सर जिला के विधानसभा—राजपुर अन्तर्गत ग्राम—ददुरा में स्वास्थ्य उपकेन्द्र—हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का नवनिर्माण कार्य।	48.67	97,400 /—	11,800 /—	As per Eproc-2	06 माह
3.	पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत ए०एन०एम० प्रशिक्षण—सह छात्रावास, रक्सौल के चहारदिवारी का नवनिर्माण कार्य।	42.93	85,900 /—	5,900 /—	As per Eproc-2	04 माह
4.	सिवान जिला के प्रखण्ड—दरौंदा, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगौरा के भवन के साथ स्टॉफ क्वार्टर एवं चहारदिवारी का निर्माण कार्य।	211.99	4,24,000 /—	11,800 /—	As per Eproc-2	12 माह
5.	मधुबनी जिलान्तर्गत प्रखण्ड—राजनगर में जी०एन०एम० स्कुल राघोपुर बलाट के चहारदिवारी का निर्माण कार्य।	22.21	44,500 /—	5,900 /—	As per Eproc-2	02 माह
6.	सिवान जिला के प्रखण्ड—मैरवा के लक्ष्मीपुर एवं विलासपुर, प्रखण्ड—सिसवन के सरसरा, प्रखण्ड—हुसैनगंज के छपिया बुजुर्ग में स्वास्थ्य उपकेन्द्र—हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का निर्माण कार्य।	194.22	3,88,500 /—	11,800 /—	As per Eproc-2	06 माह
7.	पटना जिला के प्रखण्ड—फुलवारीशरीफ के कुरकुरी में स्वास्थ्य उपकेन्द्र—हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का निर्माण कार्य।	48.35	96,800 /—	5,900 /—	As per Eproc-2	06 माह
8.	नवादा जिला के प्रखण्ड—सिरदला के चौगाओं में स्वास्थ्य उपकेन्द्र—हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का निर्माण कार्य।	46.37	92,800 /—	5,900 /—	As per Eproc-2	06 माह
9.	मधेपुरा जिला के प्रखण्ड—मुरलीगंज के रहिका टोला में स्वास्थ्य उपकेन्द्र—हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का निर्माण कार्य।	50.12	1,00,300 /—	11,800 /—	As per Eproc-2	06 माह
10.	मधुबनी जिलान्तर्गत बिस्फी प्रखंड के ग्राम—चौहट्टा में स्वास्थ्य उपकेन्द्र—हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का निर्माण कार्य।	50.12	1,00,300 /—	11,800 /—	As per Eproc-2	06 माह

2. निविदा समय—सारणी (Tender Schedule)

SL No.	Activity	Date & Time
1.	Start Date of Bid Submission	From 27/04/2026, 11:00 AM on https://eproc2.bihar.gov.in
2.	Last Date of Bid Submission	Up to 18/05/2026, 05:00 PM on https://eproc2.bihar.gov.in
3.	Pre-Bid Meeting Date, Time & Place	On 08/05/2026, 11:00 AM in 3rd Floor Conference Hall of BMSICL, Swasthya Bhawan, Behind IGIMS, Sheikhpura, Bihar, Patna
4.	Technical Bid Opening Date	19/05/2026, 03:30 PM on https://eproc2.bihar.gov.in

5.	Financial Bid Opening Date	To be announced later
6.	Tender Bid Validity	120 Days (As Per SBD Provision)

3. निविदा की विस्तृत शर्त वेबसाइट <https://eproc2.bihar.gov.in> पर देखी जा सकती है।

4. नियम एवं शर्तें:-

A. निविदादाताओं को निविदा के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ upload करना अनिवार्य है।

(i) अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र ।

(ii) जी.एस.टी. का अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र ।

(iii) आयकर पैन कार्ड ।

(iv) निविदा के साथ निविदा दस्तावेज में दिए गए विहित शपथ पत्र प्रपत्र को निविदा सूचना निर्गत होने की तिथि के पश्चात Notarised कर अपलोड करना आवश्यक है।

(v) परिमाण विपत्र का मूल्य, बिड प्रोसेसिंग शुल्क एवं अग्रधन की वांछित राशि निम्न रूप में स्वीकार की जाएगी:-

(a) परिमाण विपत्र का मूल्य online [Internet Payment Gateway (IPG), Challan]

(b) बिड प्रोसेसिंग शुल्क online [Internet Payment Gateway (IPG), Challan]

(c) अग्रधन की राशि online [Internet Payment Gateway (IPG), Challan] अथवा Offline [किसी scheduled bank से विहित प्रपत्र में बैंक गारंटी In favour of the MD, BMSICL]

5. पिछले 05 वर्षों में एक सदृश कार्य का अनुभव प्रमाण-पत्र जो प्राक्कलित राशि के कम से कम 25 प्रतिशत तक की हो तथा कार्यपालक अभियंता के स्तर या इसके समकक्ष पदाधिकारी के द्वारा निर्गत हो।

6. पिछले 5 वित्तीय वर्ष में किसी एक वर्ष का टर्नओवर (Civil Contract work without GST) कार्य के प्राक्कलित राशि का न्यूनतम 50% तक होना चाहिये। निविदा अभिलेख के साथ निविदादाता द्वारा विगत 05 वर्षों में से कम-से-कम तीन लगातार वित्तीय वर्ष का Audited Financial Statement समर्पित करना आवश्यक होगा, साथ ही साथ संबंधित दस्तावेज में UDIN Number अंकित रहना अनिवार्य होगा। अभियंता प्रमुख-सह-अपर-आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-7974(भ0), दिनांक-09.11.2022 के द्वारा CA द्वारा Certified/Audited/Attested किए जाने वाले Document यथा Audited Balance sheet/Turnover Certificate/अन्य आवश्यक दस्तावेज पर UDIN नंबर अंकित नहीं रहने पर Document को स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा निविदादाता को असफल घोषित कर दिया जाएगा।

7. किसी भी सफल न्यूनतम दरदाता को उनके Bid Capacity तक ही कार्य आवंटित किया जायेगा। Bid Capacity समाप्त होने के उपरांत न्यूनतम दरदाता के दर पर L2 दरदाता से कार्य करने की सहमति प्राप्त करने के उपरांत L2 दरदाता को L1 के दर पर कार्य आवंटित किया जा सकेगा।

8. गृह विभाग के पत्रांक-29, दिनांक-25.01.2021 के अलोक में कार्य का आवंटन निविदा के माध्यम से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों (संवेदक एवं उप संवेदकों) से जिला पुलिस के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एकरारनामा के पूर्व समर्पित करने अनिवार्य होगा।

9. अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र का मूल्य की मूल प्रति निर्धारित तिथि एवं समय तक भुगतान कर अपलोड करना होगा। ऐसा नहीं किये जाने वाले निविदादाता की निविदा Non Responsive समझी जायेगी।

10. निविदा दो बीड पद्धति के आधार पर प्राप्त की जायेगी। एक तकनीकी बीड का होगा तथा द्वितीय वित्तीय बीड का होगा।

11. Serious unbalanced Rate के लिए नियमानुसार अतिरिक्त Performance Security पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या:-447(S) दिनांक:-16.01.2020 के अनुसार देय होगा।

12. गैर अनुसूचित मद में निविदादाता द्वारा सभी मदों का दर अंकित करना अनिवार्य है।

13. कार्य की प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है, तदनुसार अग्रधन की राशि घट या बढ़ सकती है जो निविदा के साथ देय होगा।

14. निविदादाताओं को निविदा डालने से पूर्व कार्य से तथा कार्यस्थल से भली-भाँति अवगत होना होगा एवं ऐसा माना जाएगा की कार्य एवं कार्यस्थल से भली-भाँति अवगत होने के पश्चात् दर डाला गया है।

15. Joint Venture 10 करोड़ से उपर के कार्य हेतु मान्य होगा।

16. इच्छुक निविदादाता को सर्विस प्रोवाइडर के साथ रजिस्टर्ड होना होगा ताकि बेवसाइट <https://eproc2.bihar.gov.in> के माध्यम से निविदा प्रक्रिया में भाग ले सके। निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार वेबसाइट <https://eproc2.bihar.gov.in> पर निष्पादित किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक निविदादाता eProc 2.0 Help Desk Address: mjunction services limited RJ Complex, 2nd Floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiana Road, P.S. - Shastri Nagar, Patna 800 014, Bihar, Toll free no 18005726571 से संपर्क करें।

17. परिमाण विपत्र का मूल्य, अग्रधन की राशि तथा अन्य वांछित दस्तावेज जो निविदा के साथ संलग्न किया जाना है, को scan कर वेबसाईट eProc 2.0 पर अपलोड किया जाना आवश्यक है।
18. अगर वेबसाईट <https://eproc2.bihar.gov.in> का सर्वर आधी रात से निविदा प्राप्ति के अंतिम समय तक Two consecutive hours से ज्यादा Down रहने पर निविदा समाप्ति की अंतिम तिथि बढ़ाई जा सकती है। **Internet** सर्वर में बाधा उत्पन्न होने पर e-tendering में Delay के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। निविदादाता को सलाह दिया जाता है कि निविदा कागजात को अंतिम समय से पहले **Upload** कर लिया जाना चाहिए ताकि बाधा से बचा जा सके।
19. File Size 5MB से कम होना चाहिए एवं MS Word, MS Excel, PDF & JPEG Format में होना चाहिए।
20. प्रत्येक परिमाण विपत्र का मूल्य जो प्रत्येक निविदा के सामने उपर कंडिका-1 में अंकित है लौटाया नहीं जाएगा।
21. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का Corrigendum/Addendum केवल bmsicl/e-proc2 के वेबसाईट पर ही अपलोड किया जाएगा।
22. बिड प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान संवेदकों द्वारा केवल नेट बैंकिंग के माध्यम से RTGS/NEFT/Debit Card के माध्यम किया जाएगा। संवेदक निर्धारित समय के पूर्व भुगतान सुनिश्चित कर लें। अंतिम समय में नेट बैंकिंग के माध्यम से हुए भुगतान के विलंब हेतु विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
23. निविदा के साथ Upload किये गये तकनीकी सीट एवं SBD Section-1 Appendix to ITB के प्रावधान के अनुरूप निविदा समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।
24. निर्मित भवन कार्य का Defect Liability Period भवन पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष होगा।
25. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए BMSICL, कार्यालय में किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में संपर्क किया जा सकता है।
26. प्रथम बार आमंत्रित निविदा में एकल वित्तीय निविदा प्राप्त होने पर पुनर्निविदा आमंत्रित की जाएगी।
27. निविदादाता निविदा अपलोड करते समय एक शपथ पत्र अपलोड करेंगे, जिसमें यह वर्णित होना चाहिए कि वह बिहार सरकार/भारत सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/आदि से डिबार/कालीकृत नहीं है। निविदा प्राप्त के उपरांत एवं निविदा निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान यदि संवेदक को कार्यपालक अभियंता/engineer- in-charge के द्वारा डिबार किया जाता है तो निविदा में भाग लेने के लिए cut of date निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी तथा उनके निविदा का मूल्यांकन/निष्पादन किया जायेगा। यदि निविदा प्राप्ति के उपरांत एवं निविदा निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान यदि संवेदक का ऐसा कृत्य संज्ञान में आता है, जिसके कारण अभियंता प्रमुख द्वारा बिहार ठिकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका 11 (क) के तहत उनपर अपराधी मामला बन जाता है अथवा निबंधन कालीकृत/निलंबित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इसका प्रभाव कार्य आवंटन तक होगा।
28. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।
29. जी.एस.टी. से संबंधित किसी प्रकार के कर इत्यादि का वहन निविदादाता को स्वयं करना होगा।
30. निविदादाताओं को सिर्फ वेबसाईट पर ही, निविदा कागजात प्राप्त (डाउनलोड) एवं जमा (अपलोड) करना होगा। सुनिश्चित जगहों पर भरे गये विभिन्न प्रपत्रों को एवं आवश्यक कागजातों को समर्पित (अपलोड) करना होगा।
31. परियोजना वार कार्य अवधि की गणना भूखण्ड उपलब्धता की तिथि से की जायेगी।
32. एकरारनामा से पहले शपथ पत्र, बैंक गारंटी (EMD) इत्यादी सभी मूल दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।
33. निविदाएँ जमा करने से पहले, निविदादाताओं को निविदा दस्तावेज के साथ अपलोड किए गए (SBD) की शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है।
34. मध्य निषेध, उत्पादक एवं निबंधन विभाग (पंजीकरण), बिहार अधिसूचना संख्या-1026, दिनांक 15.02.2013, यह अनिवार्य है कि पावर ऑफ अटॉर्नी, यदि लागू हो, 1000 रुपये के स्टाम्प पर होनी चाहिए।
35. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का शपथ पत्र जो निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद ही मान्य होगा, निविदा प्रकाशन की तिथि से पूर्व का शपथ पत्र अपलोड करने वाले निविदादाता के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
36. Company Act के तहत निबंधित संवेदक/फर्म को निविदा के साथ Certificate of Incorporation issued by Registrar of Company bihar, Memorandum of Association and Article of Association संलग्न करना अनिवार्य होगा।
37. आवंटन उपलब्ध होने के उपरांत ही भुगतान किया जायेगा।
38. खान एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक-1407, दिनांक-06.03.2025 के आलोक में परियोजनाओं के लिए व्यवहृत लघु खनिज का ई-चालान/परमिट कार्यालय में समर्पित करना अनिवार्य होगा। यदि आपके द्वारा वैद्य ई-चालान/परमिट कार्यालय में समर्पित नहीं किया जायेगा तो मालिकाना फीस के अतिरिक्त व्यवहृत लघु खनिज के स्वामित्व का 25 गुणा राशि भी खनिज मूल्य के रूप में कटौती कर खनन शीर्ष में जमा कर दिया जायेगा।
39. मात्र आनंलाईन विधि से समर्पित EMD (अग्रधन की राशि) ही स्वीकार किया जायेगा। यदि किसी निविदादाता द्वारा भौतिक रूप में EMD जमा किया जाता है तो मात्र BG (Bank guarantee) ही स्वीकार किया जायेगा। सभी

मूल कागजात यथा परिमाण विपत्र के मूल्य के लिए जमा की गई राशि का प्राप्ति रसिद तथा अग्रधन के रूप में जमा किए जाने योग्य BG (Bank guarantee) की मूल प्रति अथवा ऑनलाईन मोड में जमा किए गये राशि का प्राप्ति रसिद (जो भी लागू हो) को स्कैन कर e-proc-2 पर अपलोड करना आवश्यक होगा। अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग पटना का ज्ञापांक-4533, दिनांक-25.05.2025 के निदेश के आलोक में BG (Bank guarantee) मूल में जमा करने की अनिवार्यता समाप्त की जाती है तथा निविदादाता द्वारा E-BG के रूप में EMD जमा किया जा सकता है।

40. SBD (Standard Bidding Document) का Contract Clause 25 पथ निर्माण विभाग के पत्रांक:-7435(s), दिनांक:-14.08.2019 के अनुसार लागू होगा।
41. मौजूदा प्रतिबद्धताओं (Existing Commitment) और चल रहे कार्यो (Ongoing Work) SBD (Standard Bidding Document) का Contract Clause 4.7 के Note में दिये गये अभिव्यक्ति “The statements showing the value of existing commitments and on-going works as well as the stipulated period of completion remaining for each of the works listed should be countersigned by the Engineer in charge, not below the rank of an Executive Engineer or equivalent” लागू होगा।
42. SBD (Standard Bidding Document) का Contract Clause 10 CA एवं 10 CC के अनुसार Price Adjustment /Price Neutralization से संबंधित निगम के कार्यालय आदेश (पत्रांक-11882, दिनांक-06.03.2025) के अनुसार लागू होगा।

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, पटना

पत्रांक : BMSIC/80095/89-2024/11 862

दिनांक : 06/01/2025

कार्यालय आदेश

पूर्व में निगम के कार्यालय आदेश संख्या-9041, दिनांक-02.01.2025 के माध्यम से एकरारनामा के SBD Clause 10 CA एवं 10 CC के अनुसार विभिन्न परियोजना में Price Adjustment/Price Neutralization के भुगतान से संबंधित निर्गत दिशा-निर्देश निम्नवत् है :-

1. निगम के अधीन प्रगतिशील जिन योजनाओं के कार्य रामादि की अवधि 18 से 36 माह निर्धारित है एवं एकरारनामा के SBD Clause 10 CA एवं 10 CC के तहत Price escalation का भुगतान किया जाना है/जाता है, उस योजना के विस्तारित अवधि में W.P.I. के Price Index को Freezed कर ही भुगतान किया जायेगा।
2. उक्त सभी योजनाओं में Non-schedule item/supply items के Bill Value पर 10 CA एवं 10 CC का भुगतान नहीं किया जायेगा। इसका अनुपालन तत्काल प्रभाव से सभी उप महाप्रबंधक (परियोजना/मुख्यालय) सुनिश्चित करेंगे एवं तदनुसार ही विपत्र मुख्यालय में समर्पित करेंगे।
3. उपरोक्त के आलोक में Price Adjustment/Price Neutralization परिमाण विपत्र के केवल अनुसूचित मद (Schedule Items Rate) के मूल अनुमोदित दर पर देय होगा, ना की परिमाण विपत्र से उपर (Above) उद्धृत दर (Quoted Rate) पर।

पुनः कतिपय संवेदकों द्वारा उक्त दिशा-निर्देश के संबंध में आपत्ति दर्ज की गई। उक्त आदेश पर पुनर्विचार करने से पूर्व अन्य विभाग/निगम से समन्वय स्थापित कर मानक प्रक्रिया एवं कार्यशैली की जानकारी प्राप्त करने हेतु श्री राम मोहन सिंह, महाप्रबंधक(परि०) दक्षिण की अध्यक्षता में कार्यालय आदेश संख्या-11135, दिनांक-20.02.2025 के माध्यम से चार सदस्यीय टीम का गठन किया गया है।

चार सदस्यीय टीम द्वारा प्राप्त अनुशंसा की गई है कि निगम के अन्तर्गत आगामी सभी परियोजनाओं में निगम के कार्यालय आदेश संख्या-9041, दिनांक-02.01.2025 को निविदा आमंत्रण सूचना/एकरारनामा में स्पष्ट उल्लेख के साथ लागू करने की अनुशंसा की जाती है।

अतः पूर्व से निर्गत आदेश को प्राप्त अनुशंसा के आलोक में इस हद तक संशोधित समझा जाये।

इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

पत्रांक : BMSIC/80095/89-2024/11 862

प्रतिलिपि :- सभी उप महाप्रबंधक (परियोजना), सभी उप महाप्रबंधक (मुख्यालय) एवं उप महाप्रबंधक (निविदा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निर्देश है कि पत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक : 06/03/2025

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापक : BMSIC/80095/89-2024/ 11 882

दिनांक : 06/3/2025

प्रतिलिपि :- महाप्रबंधक (परियोजना) दक्षिण एवं उत्तर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक : 06/03/2025

ज्ञापक : BMSIC/80095/89-2024/ 11 882

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

07

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

पत्रांक- प्र०-7/नियम-01/2017- 5435(5) / पटना, दिनांक 14/8/19

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-166 (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य SBD (Standard Bidding Document) का Contract Clause-25 को निम्नलिखित द्वारा राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं :-

"Contract Clause-25 Settlement of Disputes and Arbitration-

The Settlement of Disputes and Arbitration shall be done in accordance with the Provisions made in Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008."

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-
(रत्नेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक- प्र०-7/नियम-01/2017-

/ पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक- प्र०-7/नियम-01/2017-

/ पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- अपर सचिव, ई गजट कोषाग, गजट वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो hard copy (हिन्दी एवं अंग्रेजी), MS Word में CD के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक- प्र०-7/नियम-01/2017-

/ पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

पत्रांक- प्र०-7/नियम-01/2017-

/ पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक- प्र०-7/नियम-01/2017-

/ पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक- प्र०-7/नियम-01/2017-

7436 (3)

/ पटना, दिनांक 14/8/19

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय website पर Upload करने हेतु प्रेषित।

का.प्र.का. (अ.प्र.)/11 Manager
21/08/19

14.8.19
सरकार के अपर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
14/8